33

"आदेश"

श्री एहतशाम सिद्दीकी एडवोकेट द्वारा नगर पंचायत बुढाना के परिसीमन पर आपत्ति की गयी, जिसमें वार्ड सं0 05, 06, 07, 11 एंव 09, 12 के संबंध में यह आपत्ति की गयी कि 15 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वार्डों में सम्मिलित की गयी है।

प्रस्तुत आपत्ति पर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बुढाना एवं उप जिलाधिकारी बुढाना से परीक्षण आख्या प्राप्त की गयी। अधिशासी अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी सदर द्वारा अपनी संयुक्त परीक्षण आख्या दिनांक 27.4.2017 में उल्लिखित किया गया कि वार्डों के परिसीमन का कार्य शासनादेश सं0-869/9-1-2017-02 निर्वाचन/2017 दिनांक 04 अप्रैल 2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में किया गया है। किसी भी वार्ड को 15 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या सम्मिलित कर नहीं जोडा गया है और न ही किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के लिए वार्ड नं0 12 का भाग वार्ड नं0 10 में जोडा गया है तथा वार्डसंख्या-5,8,9,11,13,14,16,17(परिसीमन 2006) के अन्तिम सीमा पर बसे काफी हिस्सों को नगर पंचायत बुढाना की सीमा के बाहर दर्शाया दिखाया गया, कहकर आपत्ति प्रस्तुत की गयी। जबकि नगर पंचायत द्वारा सीमा से लगे किसी क्षेत्र को न घटाया गया है न बढाया गया है तथा आपत्ति निराधार व बलहीन होने के कारण निरस्त योग्य होने का उल्लेख करते हुए निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बुढाना एवं उप जिलाधिकारी बुढाना की संयुक्त परीक्षण आख्या से सहमत होते हुए आपत्ति बलहीन एवं निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।

1/5

(जी0एस0प्रियदर्शी)
जिलाधिकारी,
मुजफ्फरनगर